न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 41/2019 जिला दौसा

1. रामप्यारी पुत्री स्व0 रामसहाय पत्नी जगदीश जाति बैरवा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा हाल निवासी मकान नम्बर डी–2/34 सुल्तानपुरी दिल्ली–861
2. रूकमणी पुत्री स्व0 श्री रामसहाय पत्नी बाबूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा हाल निवासी मकान नम्बर आई–201 मंगोलपुरी दिल्ली–861

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र श्री छोटूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा हाल निवासी मकान नम्बर 443, फेस नम्बर 1 मंगलापुरा दिल्ली (पालम)
2. ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 जरिये सरपंच।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा दिनांक 20.09.2019

उपस्थित–

1. श्री राजकुमार शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री भगवानसहाय शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक –19.04.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.09.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील लालसोट के द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नं. 214 रकबा 0.0500 बीघा, खसरा नं. 215 रकबा 12.0600 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 12 बीघा 11 बीस्वा वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील लालसोट में स्थित भूमि के खोले गये नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 21.05.1990 को गलत बताते हुये आदेश दिनांक 21.05.1990 को निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2019 को ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 21.05.1990 को 29 वर्ष बाद चुनौती देने के कारण नियाद अधिनियम की धारा–5 के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश दिये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 20.09.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामप्यारी पुत्री स्व0 रामसहाय वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 20.09.2019 एवं नामान्तरकरण आदेश दिनांक 21.05.1990 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।अपीलान्ट के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नं. 214 रकबा 0.0500 बीघा, खसरा नं. 215 रकबा 12.0600 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 12 बीघा 11 बीस्वा वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील लालसोट अपीलांट के पिता की कब्जे काश्त खातेदारी की है एवं मौके पर काबिज हैं। रेस्पोडेण्ट्स द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा से गलत तरीके से बिना सुनवाई का अवसर दिये , मौके व कब्जे की जॉच किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 21.05.1990 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया जबकि अपीलांट्स के पिता की मृत्यु पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत् स्व0 रामसहाय की पुत्रियॉं विधिक वारिसान है। अपीलांट्स को उक्त जानकारी दिनांक 04.09.2019 को हुई एवं दिनांक 04.09.2019 को ही राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं मौके पर कब्जे की जॉच किये बिना ही अपील मियाद बाहर मान कर खारिज करने के आदेश दिये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा दिनांक 20.09.2019 निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट नं. 1 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि स्व0 रामसहाय नाऔलाद फौत हुआ था उसकी कोई संतान नहीं थी। अपीलांट का विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है। ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा स्व0 रामसहाय को नाऔलाद मानते हुये ही विधिवत नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 21.05.1990 तस्दीक किया गया है तथा रेस्पोडेण्ट्स का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर कब्जे के आधार पर ही नामान्तरकरण भरा गया है। जिसे 29 वर्षो तक चुनौती नहीं दी गई। अपीलांट्स द्वारा गलत तरीके से प्रार्थी को परेशान व हडपने की नियत से 29 वर्ष बाद नामान्तरकरण को चुनौती दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 321 को विधिवत स्वीकृत किया जाना माना जाकर अपील को 29 वर्षों बाद मियाद बाहर मानकर खारिज करने के आदेश दिये गये है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत 29 वर्षो बाद बिना किसी ठोस कारण के अपील पेश करने के कारण मियाद अधिनियम धारा 5 खारिज करने के आदेश दिये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के खातेदार रामसहाय की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में विवाद है। सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने मृतक रामसहाय की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 321 दिनांक 21.05.1990 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामचन्द्र पुत्र श्री छोटूलाल के नाम तस्दीक किया है। अपीलान्टस रामप्यारी, रूकमणी पुत्री स्व. रामसहाय की मुख्य आपत्ति है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामचन्द्र मृतक रामसहाय का भाई है जिसका रामसहाय की सम्पत्ति में उसका कानूनन कोई हक नहीं बनता है। अपीलान्टस रामप्यारी, रूकमणी पुत्री स्व. रामसहाय की विधिक वारिसान हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट रामप्यारी वगै की अपील पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2019 पारित कर ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 21.05.1990 को 29 वर्ष बाद चुनौती देने के कारण मियाद अधिनियम की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

धारा–5 के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया तथा अपील अपीलान्ट खारिज की गई है। हमारा विनम्र मत है कि सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने विवादित भूमि के मृतक खातेदार रामसहाय की विरासत का प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 21.05.1990 को रामसहाय को नाऔलाद मानते हुये रामसहाय के भाई रामचन्द्र के नाम तस्दीक किया है और नामांतरकरण में अपीलान्ट रामप्यारी, रूकमणी जो कि रामसहाय की जायन्दा पुत्री है, को छोड दिया गया जबकि अपीलान्ट रामसहाय की जायन्दा पुत्री होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रथम श्रेणी की वारिस है। और अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है। प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2019 से अपीलान्ट द्वारा अपील 29 वर्ष विलम्ब के पश्चात कोई ठोस आधार के प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील के साथ प्रस्तुत प्रा.पत्र तहत धारा–5 लिमिटेशन एक्ट पर खारिज किया जाकर तथा अपील अवधि बाधित होने से खारिज होना मानते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की गई है। अपीलान्ट को प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 04.09.2019 को हुई एवं दिनांक 04.09.2019 को ही राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त कर 11.09.19 को अपील की गयी है। वादिनी की मियाद तो नकल लेने से शुरू होती है, क्योंकि बिना नकल लिए अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी कैसे मिलती। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा तथ्यों पर गौर किये बिना एवं मौके की जांच किये बिना ही अपील मियाद बाहर मान कर खारिज करने के आदेश दिये गये हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्मयक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के विधिक तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये मृतक खातेदार रामसहाय की जायन्दा पुत्री अपीलान्ट रामप्यारी और रूकमणी के अधिकारों की अनदेखी की है, जबकि अपीलान्ट हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में रामसहाय की जायन्दा पुत्री होने से विधिक वारिस है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

<u>अतः</u> अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा दिनांक 20.09.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner